रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23052026-272835
SG-DL-E-23052026-272835

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139] दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2026/ज्येष्ठ 1, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 54
No. 139] DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2026/JYAISTHA 1, 1948 [N. C. T. D. No. 54

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

अधिसूचना

दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

फा. सं. एफ.13(2)(52)/2026/कोर्ड/89.—अधिसूचना सं फा.सं.जी.जी.एस.आई.पी.यू./सम./79वीं प्रबं.मं./अधि.12 (संशो.)/2023–24/434 दिनांक 09.01.2025 द्वारा अधिसूचित 'विद्या वाचस्पति उपाधि (डॉक्टर ऑफ फिलासफी डिग्री) अर्हता के लिये शासी कार्यक्रम' से संबंधित अध्यादेश 12 के आंशिक संशोधन तथा गुरू गोबिंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 (1998 का अधिनियम 9) की धारा 27 (2) के प्रावधानों के अनुपालन में, गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल ने 03.03.2026 को आयोजित अपनी 90वीं बैठक में कार्यसूची मद संख्या 90.37 द्वारा अधिसूचित अध्यादेश 12 के **खण्ड** 3.1 एवं 5.2 में निम्न आंशिक संशोधनो की स्वीकृति दीः

प्रासंगिक खण्ड	विद्यमान खण्ड	संशोधित खण्ड
3.1	अध्ययनों के विद्या वाचस्पति कार्यक्रम में प्रवेश, शिक्षण के संबंधित विषय(ों) में विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक वर्ष में एक बार आयोजित एक प्रवेश परीक्षा	अध्ययनों के विद्या वाचस्पति कार्यक्रम में प्रवेश, शिक्षण के संबंधित विषय(ों) में विश्वविद्यालय द्वारा

प्रासंगिक खण्ड	विद्यमान खण्ड	संशोधित खण्ड
	पीएचडी एन्ट्रेन्स टेस्ट (पीईटी) के माध्यम से होगा।	शैक्षिक वर्ष में **दो** बार आयोजित एक प्रवेश परीक्षा पीएचडी एन्ट्रेन्स टेस्ट (पीईटी) के माध्यम से होगा।
5.2	एक मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक, किसी शोध छात्र का एकल पर्यवेक्षक बना रह सकता है यदि पर्यवेक्षक की अधिवर्षता अवधि 03 वर्ष शेष रह गयी है । अधिवर्षता तक सेवा के अंतिम 3 वर्षो की अवधि के लिये, पर्याप्त सेवा अवधि धारी एक अतिरिक्त मान्यता प्राप्त सह पर्यवेक्षक की आवष्यकता होगी इसलिये संबंधित स्कूल शोध समिति द्वारा एक सह पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जायेगी । तथापि, यदि शोध प्रबन्ध जमा करा दिया गया है परन्तु मौखिक परीक्षा आयोजित नहीं की गयी है या फिर डिग्री प्रदान नहीं की गयी है तो फिर सह–पर्यवेक्षक की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि, यदि बाह्म परीक्षक द्वारा मूल्यांकन के पश्चात शोध प्रबंध लौटा दिया जाता है तो स्कूल षोध समि0 सह पर्यवेक्षक/अधीक्षक पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर सकती है अधिवर्षता से पूर्व, तीन वर्ष की सेवावधि से कम वाले शिक्षण सदस्यों को अपने पर्यवेक्षण के अधीन नये शोध छात्र लेने की अनुमति नहीं होगी। तथापि, ऐसे शिक्षण सदस्य अधिवर्षता तक, पहले से ही पंजीकृत विद्या वाचस्पति शोध छात्रों के पर्यवेक्षण को जारी रखने और अधिवर्षता के पश्चात लेकिन 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व सह पर्यवेक्षक के रूप में नये शोध छात्र को अपने पर्यवेक्षण में जारी रखे रहने की अनुमति होगी।	अधिवर्षिता से पूर्व तीन वर्ष से कम सेवा अवधि शेष रखने वाले शिक्षण सदस्यों को अपने पर्यवेक्षण के अधीन नए शोध छात्र लेने की अनुमति नहीं होगी। तथापि, ऐसे शिक्षण सदस्य अधिवर्षिता तक पहले से पंजीकृत पीएच.डी. शोध छात्रों का पर्यवेक्षण जारी रख सकेंगे तथा अधिवर्षिता के पश्चात सहपर्यवेक्षक के रूप में भी कार्य कर सकेंगे, किन्तु 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात नहीं।

उपरोक्त संशोधन, प्रबंध मंडल द्वारा दिये गये अनुमोदन की तिथि अर्थात् 03.03.2026 से लागू होगा।

आदेशानुसार,

डॉ० कमल पाठक, कुलसचिव

GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY

NOTIFICATION

Delhi, the 10th April, 2026

F. No. F. 13(2)(52)/2026/CORD/89.— In partial amendment to the Ordinance 12 – 'Governing Programmes leading to the Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.)' notified vide Notification No. F.No.GGSIPU/Coord/79th BOM/Ord.12(Revised)/2023-24/434 dated 09.01.2025 and in pursuance of the provisions of Section 27 (2) of the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act 1998 (Act 9 of 1998), the Board of Management of the Guru Gobind Singh Indraprastha University in its 90th meeting held on 03.03.2026 vide agenda item no. 90.37 approved amendments in the clause 3.1 and 5.2 of notified Ordinance 12 as under:

Clause	Existing clause	Amended clause
3.1	Admission to the Ph.D. programme of studies shall be through an entrance test (PET) to be conducted by the University in the relevant discipline(s) of study **once** in an academic year.	Admission to the Ph.D. programme of studies shall be through an entrance test (PET) to be conducted by the University in the relevant discipline(s) of study **twice** in an academic year.
5.2	A recognized supervisor can become the sole supervisor of a scholar if at least 03 years are remaining till the superannuation of the supervisor. For the last 03 years of service till superannuation, an additional recognized Co-supervisor with adequate service left shall be necessary and the Co-supervisor shall be appointed by the concerned SRC. However, if the thesis has been submitted, but the viva-voce has not been held or the degree has not been awarded, there shall be no need of a co-supervisor. However, if the thesis after evaluation by external examiners is returned for revision, then the SRC may appoint a Co-supervisor/ Caretaker supervisor. Faculty members with less than three years of service before superannuation shall not be allowed to take new research scholars under their supervision. However, such faculty members can continue to supervise Ph.D. scholars who are already registered until superannuation and as a co-supervisor after superannuation, but not after attaining the age of 70 years.	Faculty members with less than three years of service before superannuation shall not be allowed to take new research scholars under their supervision. However, such faculty members can continue to supervise Ph.D. scholars who are already registered until superannuation and as a co-supervisor after superannuation, but not after attaining the age of 70 years.

This above amendment shall come into force with effect from the date of approval by the Board of Management i.e. 03.03.2026.

By Order,

Dr. KAMAL PATHAK, Registrar

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.05.23 17:27:04 +05'30'